

अंचल अधिकारी का कार्यालय  
अभिलेख वाद संख्या- 10 (V) 2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- आडुबधिया थाना- 46 खाता संख्या- 333 प्लॉट संख्या-  
रकबा- 0.58 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 2 के पृष्ठ संख्या- 135, पर जमाबंदी रैयत कारिक रविदास के नाम से कायम है।  
पिता ~~अबु~~ 40 रविदास

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 12/8/16 को उपस्थापित करें।


लेखापित एवं संशोधित  
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी  
तोप.

12/8/16

अभिलेख उपस्थापित। नौटिल का वारिसता  
 प्रतिवेदन प्राप्त। जमावदी-घाटक की ओर ले  
 भूमिबंदीवस्ती पत्ती एवं लगान एसीद जमा  
 किया गया है। राजस्व कर्मचारी द्वारा पंजी-॥  
 अभिसमाप्त दशाया प्रति संजमा किया है।

अग्रतर कारिकाई हेतु अभिलेख भूमि लुपार  
 उपस्थापित दानवाद को भेजे।

  
 अथल अधिकारी  
 तोपचांची


020


अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का भोग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा साहुबहार मौजा नं० 46 खाता नं० 22 प्लॉट नं० ..... रकबा 0.58 एकड़

से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी 11 के जमाबंदी भोलुम नं० 2 के पृष्ठ सं० 135 में रैयत कारिक स्वियाय रिवा-खु प्रंधियर सा० - साहुबहार तोपचांची के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रौधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त ..... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

व्यापित एवं संशोधित।

  
अधिकारी,  
तोपचांची।

  
27/11/20  
अंचल अधिकारी,  
तोपचांची।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम श्री कान्हिरे रविदास पिता श्री रविदास

जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

सीजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>4139/1/11</u>	<u>46</u>	<u>33</u>	<u>—</u>	<u>58.870</u>

- जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 2 पृष्ठ सं० 135 पर कायम है -
- जमाबंदी किस वर्ष कायम है - मार्च 1988-89
- खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम श्री रविदास सरका
- किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है श्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश सं० 96(2)/1988-89 से
- यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम श्री
- मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूचंदोबस्ती -
- संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) श्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिळाने वाला जमाबंदी
- संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>403777</u>	<u>12.08.2009</u>	<u>2009-10</u>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*